न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– मिथलेश कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/06/2021

बनवारी पुत्र गणपत उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम पुरा छोटी तहसील धोद, जिला–सीकर।

–प्रार्थी

बनाम

1. गणपत पुत्र बजरंगा
2. मोहन पुत्र गणपत
3. गोदावरी पत्नी बजरंगा
4. गोपाल पुत्र बजरंगा
5. नेमाराम पुत्र बजरंगा
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पुरा छोटी तहसील धोद जिला–सीकर
6. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा नागवा तहसील धोद जिला सीकर
7. शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा मुंडवाड़ा, तहसील धोद
8. उपपंजीयक, धोद तहसील धोद जिला सीकर
9. तहसीलदार, धोद तहसील धोद जिला सीकर
10. सहायक अभियंता, ग्रामीण अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सांवली रोड़, सीकर

–अप्रार्थीगण

<u>आवेदन अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति–

01. श्री कैलाश सोनी, वकील प्रार्थी की ओर से
02. श्री झाबरमल रायल, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 16.03.2021

01. वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "आराजी वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 191 रकबा 3.3800 हेक्टेयर, खसरा सं. 192 रकबा 0.0600 हेक्टेयर, खसरा सं. 193 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, खसरा सं. 194 रकबा 2.8500 हेक्टेयर, खसरा सं. 200 रकबा 1.1100 हेक्टेयर व खसरा सं. 201 रकबा 2.6000 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 10.0700 हेक्टेयर वाके ग्राम पुरा छोटी पटवार हल्का नागवा तहसील धोद में अवस्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पूर्वज पीथाराम जी थे, जिनके दो पुत्र बजरंगा एवं बेगाराम उत्पन्न हुए। बेगाराम नाऔलाद आज से करीब 15 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है। बजरंग की पत्नि का नाम गोदावरी है, एवं तीन पुत्र क्रमशः गणपत, गोपाल एवं नेमाराम है। गणपत के दो पुत्र बनवारी एवं मोहन है। बेगाराम के कोई सन्तान नही होने से उसके सगे भाई गणपत एवं वादी ने उसकी मृत्यू पर्यन्त सेवा की, तथा उसका खानपान किया। बेगाराम जब तक जीवित रहा उक्त गणपत एवं वादी के पास ही रहा था सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.30 11:24:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

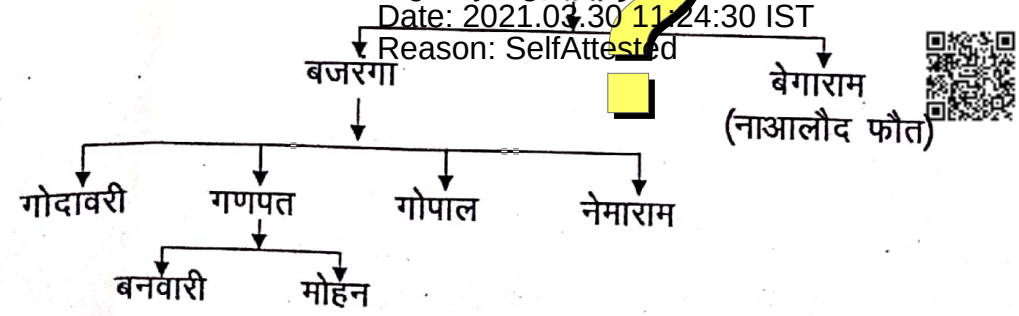

Scanned with CamScanner

उपरोक्त वर्णित भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पूर्वज पीथाराम के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमियां रही है। पीथाराम जी से उक्त भूमियां उसके दो पुत्रों बजरंगा एवं बेगाराम को प्राप्त हुई तथा बेगाराम नाऔलाद फौत होने से उक्त भूमियां उसके भाई बजरंगाको जरिए विरासत प्राप्त हुई तथा बजरंगा से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का उक्त भूमियों में पैत्रक हक व हिस्सा निर्धारित है। चूंकि बेगाराम के कोई सन्तान नही होने से उसके सगे भाई गणपत एवं वादी ने उसकी मृत्यू पर्यन्त सेवा की, तथा उसका खानपान किया। बेगाराम जब तक जीवित रहा उक्त गणपत एवं वादी के पास ही रहा था इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 बजरंग एवं वादी को खसरा नम्बर 200 एवं 201 में 5 बीघा भूमि अधिक प्राप्त हुई थी। चूंकि बेगाराम नाऔलाद निर्वसीयत फौत हो जाने के कारण वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में उसका 1/2 हिस्सा उसके भाई बजरंगा को जरिए उतराधिकार प्राप्त हुआ, इस कारण उक्त भूमियों का तन्हा खातेदार काश्तकार उक्त बजरंगा जो वादी के दादाजी थे, रहे तथा बजरंगा के उपरान्त उक्त भूमियों की खातेदारी उसकी पत्नि गोदावरी एवं पुत्र गणपत, गोपाल एवं नेमाराम को प्राप्त हुई। परन्तु बेगाराम की सेवा आदि प्रतिवादी संख्या 1 बजरंग एवं वादी के द्वारा किये जाने से समाज परिवार रिश्तेदारों ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को उनके हिस्से के अनुपात से 5 बीघा भूमि अधिक प्राप्त हुई। बजरंगा के वारिसान ने मौके पर वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमियों का बाहमी विभाजन कर रखा है, तथा उक्त बाहमी विभाजन एवं सुविधा के अनुसार खसरा नं. 191 एवं 192 को प्रतिवादी गोपाल एवं नेमाराम काश्त करते है, तथा खसरा नम्बर 193 में निर्मित ढ़ाणी में निवास करते है, इसी प्रकार खसरा नं. 194 को गोदावरी देवी काश्त करती है, तथा खसरा नम्बर 200 एवं 201 में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई तदुपरान्त दिनांक 11.09. 2009 को प्रतिवादी संख्या 1 गणपत ने अपने पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी मोहन के मध्य अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पदा की लिखित व्यवस्था की तथा उक्त व्यवस्था में उसके हिस्से की आराजी नम्बर 200 एवं 201 के तीन हिस्से तय किये गये तथा उसके एवज में तीन लाख रू0 उसके दोनों पुत्रों को देने किए गए, जिसके लिए वादी ने अपने हिस्से के 1,50,000 रू0 प्रतिवादी संख्या 1 को अदा कर दिए। उक्त लिखित व्यवस्था पर प्रतिवादीगण ने सोच समझकर अपने हस्ताक्षर किए है। इस कारण वादी खसरा नं. 200 एवं 201 के 1/3 हिस्से को काश्त करता चला आ रहा है, तथा अपने पत्नि बच्चों सहित काबिज है। इस कारण वादी अपनी पैत्रक कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 200 एवं 201 के 1/3 हिस्से का खातेदार उदघोषित होने का अधिकारी है। वर्णितानुसार विवादित भूमियों में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 अपने अपने हिस्सों पर काबिज है। परन्तु विवादित भूमियों का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मध्य बाई मिटस एवं बाण्उडस विभाजन नहीं हुआ है, तथा राजस्व अभिलेखों में आज तक विवादित भूमियां संयुक्त एवं अविभक्त है। कुछ समय से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा वादी को विवादित भूमियों में निर्मित ट्यूबवेलों से वादी को सिंचाई नही करने दे रहे है, तथा उसके आवागमन के अधिकार में बाधा कारित की जा रही है, तथा मना करने के बावजूद भी उन पर कोई सकारात्मक असर नही हो रहा है, इस कारण वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का विवादित भूमियों को अब संयुक्त एवं अविभक्त उपयोग उपभोग किया जाना एवं काश्त किया जाना संभव नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को वादी ने सहमती से विभाजन के लिए करीब 1 माह पूर्व निवेदन किया तो उन्होनें इन्कार कर दिया, इसलिए वादी द्वारा विवादित भूमियों का बाई मिटस एवं बाउण्डस विभाजन जरिये न्यायालय करवाए जाने के [illegible] इसलिये वाद नियोजक किया जा रहा है। विवादित आराजी वादी की पैत्रक आराजी होने के कारण उसका विधिक हित विवादित आराजीयात में बाई बर्थ है एवं विवादित भूमियों में वादी उपर्युक्तानुसार अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है, तथा कास्त करता है परन्तु अर्सा करीब एक माह से प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 5 द्वारा विवादित भूमियों के कब्जे काश्त एवं ट्यूबवैल से सिंचाई में वादी को बाधा कारित की जा रही है। इस स्थिति से वादी ने प्रतिवादीगण संख्या– 1 ता 5 को उलाहना दिया गया है तो वे हिंसक हो गये तथा वादी को प्रतिवादीगण संख्या– 1 ता 5 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.30 11:24:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जि॰ सीकर

Scanned with CamScanner

धमकी दी कि वे जल्दी ही ताकत के बल पर वादी की खड़ी फसल को खूर्द बूर्द कर देंगे तथा प्रतिवादी संख्या–1 का नाम राजस्व रिकार्ड में होने का नाजायज फायदा उठाकर एवं लिखित व्यवस्था को अमान्य कर विवादित भूमियों को प्रतिवादी संख्या–1 बिना विभाजन ही किसी अजनबी अथवा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अन्तरित कर देगा अथवा बैंक से ऋण प्राप्त कर लेगा। अगर प्रतिवादीगण अपनी इस उद्देश्य में कामयाब हो गए तो वादी को असीमित क्षति होगी तथा वादी अपनी पैत्रक कब्जे काश्त व अधिकार की भूमियों से वंचित हो जावेगा। इस कारण विवादित भूमियों को वेस्ट डेमेज एवं एलाइनेसन से बचाने के लिए वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त कार्यो से निवारित रखे जाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला पूर्णतया पुष्ट एवं प्रमाणित है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे विवादित आराजियात खसरा सं. 191 रकबा 3.3800 हेक्टेयर, खसरा सं. 192 रकबा 0.0600 हेक्टेयर, खसरा सं. 193 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, खसरा सं. 194 रकबा 2.8500 हेक्टेयर, खसरा सं. 200 रकबा 1.1100 हेक्टेयर व खसरा सं. 201 रकबा 2.6000 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 10.0700 हेक्टेयर वाके ग्राम पुरा छोटी पटवार हल्का नागवा तहसील धोद में प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी करने से बाज रहें व उक्त आराजियात का बेचान करने व अन्तरण करने से प्रतिबंधित रहें।"

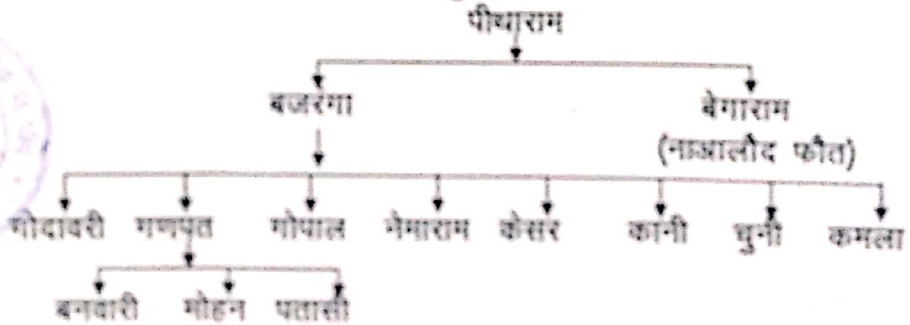

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 6 ता 10 पर बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 की ओर से अभिभाषक श्री झाबरमल रॉयल ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की मद सं. 1 सही है स्वीकार है। आवेदन की मद सं. 2 में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 का पूर्वज पीथाराम होने का कथन सही है स्वीकार है। बेगाराम की सेवा सुश्रुषा वादी/प्रार्थी द्वारा किये जाने का कथन गलत है अतः यह कथन अस्वीकार है। सजरा खानदान वास्तविक रूप से निम्नानुसार है–

आवेदन पत्र की मद सं. 3 में वादी/प्रार्थी द्वारा बेगाराम सुश्रुषा करना, रहना, प्रार्थी को 5 बीघा अधिक जमीन प्राप्त होने का कथन गलत है एवं अस्वीकार है। यह कि आवेदन की मद सं. 4 में प्रार्थी को 5 बीघा [illegible] कथन गलत होने से अस्वीकार है। बाहमी बंटवारे का कथन सही है स्वीकार [illegible] लिखित बंटवारा एवं सही नापजोख किया जाना शेष है। प्रार्थी द्वारा [illegible] देने तथा भूमि में 1/3 हिस्सा होने का कथन गलत है [illegible] कि जिस तरीके से मद सं. 5 तहरीर की गई है गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त [illegible] का अभी तक खातेदारों में ही बंटवारा नहीं हुआ है। इस कारण प्रार्थी को विभाजन का कोई अधिकार नहीं है। यह कि जिस तरीके से मद सं. 6 तहरीर की गई है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के हिस्से को जवाबदातागण/अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 ने कभी मना नहीं किया है। प्रार्थी का ट्यूबवेल में कोई हिस्सा ही नहीं है। प्रार्थी का ट्यूबवेल में कोई हिस्सा ही नहीं है। प्रार्थी बाहमी बंटवारें

उपखण्ड अधिकारी
धोद जि. सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.30 11:24:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

में आई हुई भूमि में 2 अवैद्य ट्यूबवेल संचालित कर बिजली चोरी भी करता है। जिस कारण अप्रार्थीगण को वैद्य कनेक्शन का ट्यूबवेल संचालित करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिससे तंग आकर अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 10 के यहां ट्रांसफार्मर को ट्यूबवेल के नजदीक जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका अप्रार्थी सं. 10 ने तकमीना भी बना लिया था। उक्त ट्रांसफार्मर स्थानान्तरण को रूकवाने के लिए प्रार्थी ने गलत रूप से माननीय न्यायालय को गुमराह कर पेश किया है, जो कि प्रथम दृष्ट्या खारिज योग्य है। यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 7 में दावा प्रस्तुत करने का कथन सही होने से स्वीकार है। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है, अगर रिकॉर्डेड खातेदारों को अस्थाई व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाता है तो असीमीत क्षति होगी जिसकी भरपाई करना असंभव है तथा भूमि संबंधित विधिक कार्य करने में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होगीं। अतः जवाब ओवदन पेश कर निवेदन है कि वादी/प्रार्थी का ना तो प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है और ना ही प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन है। प्रार्थी को ना ही कोई अपूरणीय क्षति हो रही है तथा प्रार्थी/वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन न्यायोचित नहीं होने से खारिज किया जावें।

03. बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण से सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 ने अपने जवाब आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराकर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

04. हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। टी.आई. के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– पत्रावली में संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि में वादी/प्रार्थी के पिता गणपत पुत्र बजरंगा के नाम 7/24 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी/वादी ने आवेदन के साथ प्रस्तुत मूल वाद उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। जबकि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 जवाब में वर्णित सजरा खानदान में गणपत व बजरंगा की अन्य संतानों के रूप में पुत्रियों का नाम भी दर्शित किया है। जबकि वादी/प्रार्थी ने अपने दावें में उद्घोषणा की रिलीफ भी चाही है। उद्घोषणा के वाद में खातेदार के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया जाना उचित होता है। लेकिन वादी/प्रार्थी ने मात्र गणपत के मात्र और मात्र पुत्रों को पक्षकार बनाकर अप्रार्थीगण के खिलाफ टी.आई. आवेदन पेश किया है, जो कि प्रथम दृष्ट्या विधि के विरूद्ध है। इसी प्रकार वादी/प्रार्थी ने वाद में बंटवारे की रिलीफ भी चाही है। परन्तु इससे पूर्व अन्य खातेदारों के मध्य भी अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थी/वादी का विवादित भूमि में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। उक्त स्थिति के आलोक में प्रार्थी/वादी का कोई हिस्सा बनता है या नहीं, इसका निर्णय दावे में सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात् किया जायेगा, लेकिन तथ्यों के अनुसार विवादित भूमि में प्रार्थी का मामला भी प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित नहीं है।

(B) सुविधा का संतुलन– प्रथम दृष्ट्या मामला पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

(C) अपूरणीय क्षति– अप्रार्थीगण सं. 1, 3 ता 5 वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदार दर्ज है। इसलिए यदि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध इस स्टेज पर कोई टी.आई. जारी की जाती है, तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए यह बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.30 11:24:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु॰ सीकर

Scanned with CamScanner

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का आवेदन साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.30 11:24:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner